DhakaPrinciples
for migration with dignity

ढाका सिद्धांत
गौरवपूर्ण प्रवास के लिए

प्रवासी कर्मचारियों के जिम्मेदारीपूर्ण भर्ती और नियुक्ति के लिए सिद्धांत

मूल सिद्धांत अ	**सभी कर्मचारियों के साथ बिना किसी भेदभाव के, एक समान व्यवहार किया जाता है** प्रवासी कर्मचारियों के साथ उनके जैसा या वही काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से कम अनुकूल व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रवासी श्रमिकों को ऐसे किसी भी भेदभाव से सुरक्षित रखना चाहिए जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो।
मूल सिद्धांत ब	**सभी कर्मचारी रोजगार कानून के तहत सुरक्षित हैं** जिस राष्ट्र में काम किया जा रहा है, उस राष्ट्र में पहचाने जाने योग्य और वैध मालिक के साथ प्रवासी कर्मचारियों का कानूनी मान्यता प्राप्त रोजगार संबंध होना चाहिए।
सिद्धांत १	**प्रवासी कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है** मालिक को भर्ती और पदस्थ करने के सभी खर्च उठाने चाहिए। प्रवासी कर्मचारियों से भर्ती या पदस्थ होने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सिद्धांत २	**सभी प्रवासी कर्मचारी अनुबंध स्पष्ट और पारदर्शी हैं** प्रवासी कर्मचारियों को ऐसे लिखित अनुबंध दिये जाने चाहिए जिसकी भाषा हर कर्मचारी समझ सके, जिसमें सभी नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से समझायी गयी हों और जिसकी स्वीकृति में कर्मचारियों पर किसी भी तरह का दबाव ना हो।
सिद्धांत ३	**सभी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं** प्रवासी कर्मचारी अधिकारों का इनमें स्पष्ट विवरण होना चाहिए - मालिक और प्रवासी नियोक्ता सार्वजनिक मानवाधिकार नीति पत्र, उपयुक्त प्रणाली नीतियाँ और मानवाधिकार जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रक्रियाएँ।
सिद्धांत ४	**किसी भी प्रवासी कर्मचारी के पासपोर्ट या अन्य पहचान पत्र नहीं रोके जाते हैं** प्रवासी कर्मचारियों अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र और निवास सम्बन्धी कागज़ात रखने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए और उन्हें घूमने-फिरने की भी आज़ादी मिलनी चाहिए।
सिद्धांत ५	**वेतन नियमित और प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल समय पर दिया जाता है** प्रवासी कर्मचारियों को अपना वेतन बिल्कुल समय पर, नियमित रूप से सीधे अपने हाथों में मिलना चाहिए।
सिद्धांत ६	**कर्मचारी प्रतिनिधित्व के अधिकार का सम्मान किया जाता है** अन्य कर्मचारियों की तरह प्रवासी कर्मचारियों को भी श्रमिक-संघ बनाने और उनका हिस्सा होने एवं सामूहिक सौदेबाज़ी करने के बराबर अधिकार होने चाहिए।
सिद्धांत ७	**कर्मस्थली के हालात सुरक्षित और सभ्य-शिष्ट हैं** प्रवासी कर्मचारियों को काम करने के लिए सुरक्षित और सभ्य-शिष्ट वातावरण मिलना चाहिए, जो शोषण-मुक्त हो और जहाँ किसी प्रकार का दबाव-संत्रास या अमानवीय व्यवहार ना मिले। उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा हेतु यथोचित सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए और उनके अनुरूप भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
सिद्धांत ८	**रहन-सहन के हालात सुरक्षित और सभ्य-शिष्ट हैं** प्रवासी कर्मचारियों को रहने के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण एवं घर से कार्यालय तक के लिए सुरक्षित यातायात मिलना चाहिए। उन पर स्वतन्त्र रूप से घूमने-फिरने की रोकथाम नहीं लगनी चाहिए या अपने निवास-स्थान तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए।
सिद्धांत ९	**कष्ट-निवारण का उपाय प्रदान किया जाता है** प्रवासी कर्मचारियों को प्रत्यारोपण या बर्खास्तगी के भय के बिना, न्यायिक उपचार और विश्वसनीय शिकायत तंत्र तक पहुँच होनी चाहिए।
सिद्धांत १०	**रोज़गार बदलने की स्वंतन्त्रता सम्माननीय और सुरक्षित है, सही समय पर निवास-स्थान तक वापसी निश्चित है** प्रवासी कर्मचारियों को अनुबंध समाप्त होने पर और अन्य असामान्य स्थितियों में निवास-स्थान तक लौटने की सुविधा निश्चित रूप से प्रदान की जानी चाहिए। फिर भी, पहला अनुबंध समाप्त होने पर या दो साल के बाद, जो भी कम हो, उन पर मेज़बान देश में रोज़गार ढूँढ़ने या बदलने पर किसी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए।

ढाका सिद्धांत द इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन राईट्स एंड बिज़नेस द्वारा काफ़ी परामर्श के पश्चात बनाए गए थे और इनका समर्थन व्यापार, सरकार, श्रमिक संघ एवं नागरिक समाज भी करते हैं। जून २०११ में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित प्रवासी गोल मेज़ सम्मेलन में इन्हें प्रथम बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। ये यू एन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन बिज़िनेस एंड ह्यूमन राईट्स एवं अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों पर आधारित हैं। ढाका सिद्धांत एक ऐसा मार्गदर्शक हैं जो कर्मचारियों की रोजगार नियुक्ति से लेकर अनुबंध के शेष होने तक उनका पता लगाता है और गौरवपूर्ण प्रवास सुनिश्चित करने के लिए उन मुख्य सिद्धांतों को प्रदान करता है जिसका मालिकों और प्रवासी नियोक्ताओं को हर कदम पर सम्मान करना चाहिए।